प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.05.2024

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस व एसटीएफ टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 12.05.2024 को वादी श्री सागर मावी पुत्र श्री विक्रम मावी निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि अभियुक्त चरण सिंह भाटी, पवन भाटी, विमला, कविता, चंचल, कुलदीप, पूजा, राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्त, निशांत, राहुल रामबाबू, गगन आदि द्वारा वादी व वादी के पिता को पाइपलाइन रोड पर रास्ता रोककर लाठी, डंडो, पिस्टल, तमंचों से लैस होकर घेरकर हमला करना जिससे वादी का सिर फट जाना तथा वादी के पिता की मृत्यु हो जाना। उक्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही का विवरण - वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम 1.चरण सिंह पुत्र मंगत राम उम्र करीब 65 वर्ष 2.विमला पत्नी चरण सिंह उम्र करीब 65 वर्ष 3.चंचल पत्नी पवन भाटी उम्र करीब 30 वर्ष 4.पूजा पुत्री चरण सिंह पत्नी कुलदीप उम्र 28 वर्ष निवासीगण राधा विहार कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 5.गौरव पुत्र रामकुमार नागर निवासी ग्राम कचेड़ा थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 40 वर्ष 6-कविता पत्नी परशुराम नि0 बी 424 गली न0 02 अशोक नगर दिल्ली उम्र 45 वर्ष 7-विमल पुत्र रामवीर नि0 राहुल गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष 8-प्रशान्त उर्फ मुत्तु पुत्र आनद कुमार नि0 कुम्हार कॉलोनी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 23 वर्ष 9-सोनू मावी पुत्र सुभाष मावी नि0 टीला शहबाजपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष 10-काले उर्फ़ अंकुर पुत्र संजीव नि0 अमित विहार बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष 11.दीपक उर्फ गोलू पुत्र विनोद दुबे निवासी गली न0-6, डायमण्ड स्कूल के पीछे अमित विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 26 वर्ष 12.गौरव पुत्र जगवीर निवासी राजेश का किराए का मकान प्रताप नगर थाना हर्ष बिहार दिल्ली उम्र 24 वर्ष 13. टिंकू उर्फ हेमंत पुत्र सतेंद्र नि0 राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 14. कुलदीप पुत्र रामरिक निवासी मिलक नंगला कोट का पुल थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। उपरोक्त मुकदमें में ही नामित अभियुक्त 15.पवन भाटी पुत्र चरण सिंह निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर उम्र 32 वर्ष, थाना आरकेपुरम दिल्ली में अवैध असलाह के साथ

गिरफ्तार हुआ है एवं 16.अभियुक्त गगन पुत्र यतेंदर निवासी सरस्वती विहार लोनी गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना हर्ष विहार दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है।

आज दिनांक 30.05.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा नामजद अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू की गिरफ्तारी पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 50,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में अभी तक कुल 17 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - पूछताछ करने पर अभियुक्त राहुल उर्फ रामबाबू ने बताया कि मैं पवन भाटी का दोस्त हूँ। दिनांक 05.05.2024 को विक्रम मावी ने पवन भाटी के माता पिता व पत्नी के साथ मारपीट की थी जिस कारण से पवन भाटी अपने मामा विक्रम मावी को मारने को आतुर था। विक्रम मावी की हत्या वाले दिन मैं भी मौके पर ही था तथा मेरे द्वारा भी विक्रम मावी के साथ मारपीट की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राहुल उर्फ रामबाबू पुत्र बाबूराम शर्मा निवासी राधा विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 30 वर्ष

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम व एसटीएफ मेरठ

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 30-5-24 को वादी श्री हर्षवर्धन आनन्द शाखा प्रबन्धक इन्डियन बैंक नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गाजियाबाद ने सूचना दी कि दिनांक 29-5-24 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एटीएम मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उक्त तहरीर पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन किया गया था, बैंक व एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरो के माध्यम से घटना में शामिल अभियुक्त को दिनांक 30-5-24 को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभि0 का नाम व पता-

1.राकेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी राधाकुंज नन्दग्राम थाना नन्दग्राम गा0बाद उम्र 42 वर्ष

<u>पूछताछ का विवरण</u>- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29-5-24 को दोपहर के समय पैसे निकालने एटीएम मशीन में गया था, वहां पर कार्ड मशीन में फंस गया, मैने शराब पी रखी थी, मैने गुस्से में आकर एटीएम मशीन में एक के बाद एक कई मुक्के मार दिये, जिससे मशीन टुट गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।